कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1754 / FP/UK/ROAD/17623/2016 :देहरादून:दिनांकः 24 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत लिंगवाडा से सौड़ू रानीताल मोल्टा तक मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/201/2016/ एफ0सी0/531 दिनांक 04–06–2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2.975 हे0 ग्राम झनाऊ, पट्टी चन्द्रबदनी, जिला टिहरी गढवाल की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 9,11,930.00 धनराशि जमा की गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.975 हे0 ग्राम झनाऊ, पट्टी चन्द्रबदनी, जिला टिहरी गढवाल की सिविल सोयम भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.4875 है0 वन भूमि हेतु 8,45,000.00 प्रति है0 की दर से रू0 12,56,938.00 मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि की जमा की गई है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने की दशा में बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावक विभाग के बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियाँ (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि) क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में ई–पोर्टल के माध्यम से हस्तांन्तरित/जमा करवायी गयी है। ऑनलाईन चालान की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय को प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों (Central Verge) पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में (Strip Plantation) की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन अधिनियम–1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या–1754/ FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

24/01/23
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी